सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारेठ आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 877/2018

पवन कुमार पुत्र श्री जमनादास जाति अरोड़ा निवासी 2 सी 4 सुखाड़ियानगर श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. नरेश कुमार पुत्र जमनदास जाति अरोड़ा निवासी 3 ए 22 सुखाड़ियानगर श्रीगंगानगर
2. सुशान्त अनेजा } पिसरान नरेश कुमार जाति अरोड़ा निवासी
3. मोहित अनेजा } 3 ए 22 सुखाड़ियानगर श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानग

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. रिसीवर नियुक्त किये जाने बाबत।

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री विक्रम बिश्नोई अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री श्याम सुन्दर — अप्रार्थी संख्या–1 ता 3

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 23.12.2019

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि चक 1 जैड़ के खाता संख्या 20 के मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 3 में 0.152 हैक्टयर नहरी कि. न. 6 में 0.012 है। नहरी, कि. नं. 7 में 0.165 है। नहरी, कि.नं. 8 में 0.253 है0, मे से 0.215 है0 बाग, किला नं. 14 में 0.253 है0 बाग, किला नं. 15 में 0.190 है0 बाग कुल भूमि 0.658 हैक्टयर बाग, 0.582 है0 नहरी व 0.038 हैक. खाला है। इसी खाता के मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 1/2 में 0.176 है। नहरी किला नं. 2, 3, 8, 13, 18 प्रत्येक सालम, किला नं. 23 में 0.228 है। नहरी कुल 1.669 हैक्टयर नहरी दोनो मुरब्बो में 2.947 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 के पिता जमनादास के नाम से जमाबन्दी वर्ष 2067–2070 मे दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता जमनादास ने अपनी उपरोक्त कृषि भूमि के बारे में पुराने बन्दोबस्त रदद करते हुए वसीयत दिनांक 01–05–2013 को अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दवाब के गवाहान के रोबरू निष्पादित की थी। इस वसीयत से जमनादास ने 60 नया पैसा शेयर अर्थात् 60 प्रतिशत हिस्सा नरेश कुमार अप्रार्थी संख्या 1 को व 40 नया पैसा शेयर अर्थात् 40 प्रतिशत हिस्सा प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

को दे दिया था। उक्त वसीयत से 60 प्रतिशत अधिक हिस्सा नरेश कुमार अप्रार्थी संख्या 1 को दिया था, इसलिए असल वसीयत नरेश कुमार अप्रार्थी संख्या 1 को दी थी, जो उसके आधिपत्य में है। उसकी फोटो प्रति प्रार्थी को दी थी, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता जमनादास का देहान्त दिनांक 12–01–2018 को व माता मोहनी देवी का देहान्त दिनांक 16–09–2014 को हो चुका है। खातेदार जमनादास का हान्त दिनांक 12–01–2018 को होने से जमनादास द्वारा दिनांक 01–05–2013 को निष्पादित वसीयत प्रभावी हो गई है, और इस वसीयत के प्रभावी होने से वादी उपरोक्त 2.947 है0 कृषि भूमि में 40 प्रतिशत अर्थात् 1.890 हैक्टयर जो 4 बीघा 14 बिस्वा के बराबर है का मालिक खातेदार हो गया है, शेष भूमि 1.0757 हैक्टयर का मालिक अप्रार्थी संख्या 1 हो गया है, और वसीयत अनुसार उक्त भूमि में अधिकारो की घोषणा व उक्त भूमि के विभाजन का वाद संख्या 23/18 अनवानी पवन कुमार बनाम नरेश कुमार वगैरा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है, जो लम्बित चल रहा है, उक्त वाद में प्रार्थी ने स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था, और स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के हाजिर आने पर स्थगन प्रार्थना पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक जारी कर दी है। वादग्रस्त उक्त भूमि के मु.न. 6 की उपरोक्त कुल भूमि में बाग लगा हुआ है जिसमें किन्नू के पेड़ लगे हुए है जो फल देते है जमाबन्दी में केवल मु. नं. 6 के कि. न. 13, 14, 15 में बाग दर्शाया गया है शेष भूमि नहरी दर्ज है। परन्तु इस कुल भूमि में मौका पर बाग लगा हुआ है जो फलदेता आ रहा है। उक्त 3 बीघो में बाग स्वीकृत होने से जमाबन्दी में यह 3 बीघे ही बाग दर्ज है परन्तु शेष किलाजात में भी मौका पर बाग लगाया हुआ है। नहरी गिरदावरी में कुल भूमि में बाग दर्ज है नहरी गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र है। खातेदार जमनादास इस बाग को ठेके पर देते थे। बाग में पेड़ो पर फल मौके पर पकाव की स्थिति में है, और विक्रय हेतू ठेके पर देना है। अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त वसीयत को निष्फल करने के लिए उक्त भूमि की जमनादास के नाम की वसीयत अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम से बना रखी है, और वादग्रस्त कुल भूमि पर काबिज होकर बाग को ओने पोने दाम में ठेके पर देकर राशि हड़प करना चाहता है। वादग्रस्त भूमि में 40 प्रतिशत हिस्सा प्रार्थी को वसीयत से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार इस भूमि की कुल पैदावार अप्रार्थी सं. 1 अकेला प्राप्त करने का हकदार नहीं है, इसलिए वादग्रस्त भूमि के विभाजन का व अधिकारो की घोषणा का वाद जेरकार होने से प्रार्थी व अप्रार्थी का कब्जा वसीयत अनुसार संयुक्त रूप से है, और प्रतिवादी जबरदस्ती फलो को विक्रय कर कुल पैदावार उठाना चाहता है, यदि अप्रार्थीगण इसमें कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं हो सकेगी इसलिए रिसीवर नियुक्त होने से पैदा सुरक्षित रहेगी। वादग्रस्त भूमि पर तहसीलदार हल्का श्रीगंगानगर को रिसीवर नियुक्त कर बाग की निलामी करवाई जाकर राशि न्यायालय में जमा करवाई जानी आवश्यक है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सुन्तलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित है। वादग्रस्त भूमि का वाद माननीय न्यायालय में लम्बित है। स्थगन आदेश के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 बाग को ठेके पर देकर राशि हड़प करने के प्रयास में है इसलिए इंसाफ की दृष्टि से वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक व उचित है। अतः रिसीवर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि पर तहसीलदार हल्का को रिसीवर नियुक्त किया जाकर काश्त की व्यवस्था करवाई जावे व राशि न्यायालय में जमा करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 11.01.2019 को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यानुसार कृषि भूमि पक्षकारान के पिता जमनादास के नाम वर्ष 2067–2070 की जमाबन्दी में होने का तथ्य स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–3 में वर्णित समस्त तथ्य गलत, मनगढन्त व आधारहीन अंकित किये गये हैं जो उत्तरदाता अप्रार्थीगण को स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने इस चरण में यह तथ्य कतई गलत व बेबुनियाद अंकित किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–1 के पिता जमनादास ने अपनी उपरोक्त कृषि भूमि के बारे में पुराने बंदोबस्त को रद्द करते हुए वसीयत दिनांक 01.05.2013 को अपनी स्वेच्छा से बिना दबाव के गवाहान के रोबरू निष्पादित की थी। यह कथन भी असत्य व गलत अंकित किया गया है कि उक्त तथाकथित वसीयत से श्री जमनादास ने 60 प्रतिशत हिस्सा अप्रार्थी नरेश कुमार को एवं 40 प्रतिशत हिस्सा प्रार्थी पवन कुमार को दिया गया हो। यह कथन भी गलत, असत्य एवं आधारहीन अंकित किया गया है कि तथाकथित वसीयत के अनुसार अप्रार्थी नरेश कुमार का 60 प्रतिशत हिस्सा अधिक होने के कारण तथाकथित असल वसीयत अप्रार्थी नरेश कुमार को दे दी गई हो। वास्तव में श्री जमनादास द्वारा दिनांक 01.05.2013 को कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई थी न ही ऐसी कोई वसीयत कभी अस्तित्व में आई है। प्रार्थी केवल अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने तथा खर्चे से जैरबार करने की नियत से झूठा वाद तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं जो समस्त सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। तथाकथित वसीयत उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या–1 के आधिपत्य में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी परिस्थितियों में तथाकथित वसीयत की फोटो प्रतिवादी के पास होने का कथन मिथ्या अभिकथित किया गया है। पक्षकारान के माता–पिता के देहान्त होने सम्बन्धी तथ्य सही अंकित किये गये हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–4 में वर्णित तथ्य गलत व बेबुनियाद अंकित किये गये हैं, अतः स्वीकार नहीं है। श्री जमनादास द्वारा कभी कोई वसीयत दिनांक 01.05.2013 को निष्पादित नहीं की गई। ऐसी परिस्थितियों में तथाकथित वसीयत के प्रभावी होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वादी फर्जी व कूटरचित प्रलेख के आधार पर श्री जमनादास की खातेदारी भूमि में 40 प्रतिशत अर्थात 1.890 हैक्टेयर अथवा 4 बीघा 14 बिस्वा का मालिक खातेदार नहीं बना है न ही वह फर्जी व कूटरचित प्रलेख के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि में अधिकारों की घोषणा का व उक्त भूमि के विभाजन का वाद लाने का अधिकारी है। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा गलत तथ्यों व प्रलेखों के आधार पर श्रीमान् न्यायालय में वाद दायर किया जाना व लम्बित होना स्वीकार है। उक्त वाद में वादी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में, अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है तथा श्रीमान् न्यायालय द्वारा केवल राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तक का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–5 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से दर्ज किये गये हैं, स्वीकार नहीं हैं। वादी प्रार्थी द्वारा जिस मुरब्बा के किला में बाग दर्शाया है वह विवरण गलत है। इस चरण में वर्णित यह तथ्य अस्वीकार है कि उक्त भूमि को श्री जमनादास ठेके पर देते थे। इस चरण में वर्णित यह तथ्य गलत अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या–1 नरेश कुमार ने वादग्रस्त वसीयत को निष्फल करने के लिये उक्त वर्णित कृषि भूमि की जमनादास के नाम की वसीयत अप्रार्थी संख्या–2 सुशांत अनेजा व मोहित अनेजा के नाम से बना रखी हो, यह भी गलत अंकित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर वे बाग को औने पौने दाम में ठेके पर देकर राशि हड़प करना चाहता हो। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि वादग्रस्त भूमि में उसका 40 प्रतिशत हिस्सा तथाकथित वसीयत दिनांक 01.05.2013 के आधार पर प्राप्त हुआ हो। तथाकथित वसीयत कतई गलत व फर्जी बनाई गई है जो उत्तरदाता अप्रार्थीगण के अधिकारों पर निष्प्रभावी व बेअसर है। अप्रार्थीगण संख्या–2 व 3 इस कृषि भूमि पर श्री जमना दास की मृत्यु दिनांक 12.01.2018 के पश्चात श्री जमनादास के द्वारा निष्पादित व पंजीकृत वसीयत दिनांक 01.04.2006 के आधार पर मालिक व खातेदार हो गये हैं तथा दिनांक 12.01.2018 से इस पर साधिकार काबिज चले आ रहे हैं। इन परिस्थितियों में प्रार्थी/वादी द्वारा दायर किया गया वाद प्रतिवादीगण उत्तरदातागण के खिलाफ चलने योग्य नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। जैसा कि ऊपर अंकित किया जा चुका है कि श्री जमना दास द्वारा दिनांक 01.05.2013 को कोई वसीयत निष्पादित नही की थी। तथाकथित वसीयत जिसे वादी वाद का आधार बनाकर आ रहा है वह वसीयत कतई फर्जी व कूटरचित प्रलेख है जिसके आधार पर वादी कोई अनतोष पाने का अधिकारी नहीं है। वादी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता अतः वादी प्रार्थी उत्तरदातागण की साधिकार कब्जे वाली भूमि पर रिसीवर नियुक्त करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–6 में वर्णित कथन गलत है, अतः स्वीकार नहीं है। उपरोक्त हालात में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता, ना ही सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनता है। विपरीत इसके उत्तरदाता विवादग्रस्त कृषि भूमि पर पंजीकृत वसीयत दिनांक 01.04.2006 के प्रभावशील होने से स्वीकृत तौर पर काबिज चले आ रहे हैं। इस पर वादी का कभी कब्जा नहीं रहा। प्रार्थी/वादी के स्वयं के कथनानुसार उसके द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा का वाद दायर किया गया है अतः प्रार्थी श्रीमान् न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–7 में वर्णित तथ्यों में वाद का लम्बित होना स्वीकार है। प्रार्थी ने पूर्व में न्यायालय से केवल मात्र रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्राप्त कर रखा है। चूंकि उत्तरदाता, अपने दादा स्वर्गीय श्री जमना दास की रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर भूमि के मालिक व काबिज होने के नाते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

कृषि भूमि की सार व संभाल कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में कृषि भूमि से प्राप्त राशि को हड़पने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अतः विधि के किसी भी प्रावधान के अनुसार प्रार्थी उत्तरदाता को वसीयत के प्राप्त कृषि भूमि पर रिसीवर नियुक्त करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः उत्तर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सविनय निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादीत न्यायिक दृष्टान्त– **2019(2) RRT 934** की नजीर पेश की। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया है। प्रार्थी द्वारा मूल वाद विभाजन का एवं खातेदारी अधिकारों का प्रस्तुत किया गया है। वसीयत के सम्बन्ध में वादी द्वारा कथन किया गया है कि वसीयत में जमनादास ने 60 प्रतिशत नरेश कुमार अप्रार्थी–1 को एवं 40 प्रतिशत हिस्सा प्रार्थी को दिया था, जो कि जांच का विषय है। जमानादास द्वारा दिनांक 01.05.2013 को की गई वसीयत न तो पंजीकृत दस्तावेज है और न ही सक्षम न्यायालय द्वारा प्रमाणित है। जिसका निर्धारण मूल वाद में जवाब एवं तनकीयात कायम करने के पश्चात् साक्ष्य उपरान्त अन्तिम निर्णय में ही किया जा सकता है। उपरोक्त हालात में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। इसके विपरीत अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि पर पंजीकृत वसीयत दिनांक 01.04.2006 के प्रभावशील होने से स्वीकृत तौर पर काबिज चले आ रहे हैं। न्यायिक दृष्टि से मूल वाद के विधिवत निस्तारण हेतु उक्त भूमि पर रिसिवर नियुक्त किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद मुकदमा संख्या 23/2018 बअनवान पवन कुमार बनाम नरेश कुमार रहे।

आदेश आज दिंनाक 23.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2020.01.01 15:10:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: